न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्रीमती शान्ता पत्नि स्व. अजबाराम जी, जाति- मेघवाल, निवासी- मेघवालवास, मण्डार, तहसील व जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. ग्राम पंचायत, मण्डार जरिये सरपंच
2. हंसाराम पुत्र केसाजी, जाति- मेघवाल, निवासी- मण्डार, तह. रेवदर, जिला- सिरोही
3. मंछीदेवी पुत्री केसाजी पत्नि अमरारामजी मेघवाल, निवासी- जैतावाडा, तह. रेवदर

प्रार्थना पत्र संख्या: 18/2022

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अप्रार्थी संख्या- 2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 20 अप्रेल, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, मण्डार केसा पुत्र खेमा जी मेघवाल, निवासी- मण्डार के पक्ष में क्षेत्रफल 5850 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 को निरस्त हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(1) के तहत प्रस्तुत किये गये निगरानी आवेदन के साथ साथ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(2) के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर पंजीकृत डाक से तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 13.4.2022 को अप्रार्थी संख्या-2 (हंसाराम) की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा उपस्थित हुये। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थितइ रहे। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित व अप्रार्थी संख्या-3 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा ने वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु मूल निगरानी प्रकरण में Undertaking दी, लेकिन अप्रार्थी संख्या- 1 व 3 की ओर से उक्त अधिवक्तागण का नियत सुनवाई तिथि 13.4.2022 को वकालतनामा प्रस्तुत नही हुआ।

(3) प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता की बहस दिनांक 13.4.2022 को सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थीया कस्बा मण्डार के मेघवाल वास में अपने पति व ससुर के पुश[illegible]य मकान में निवास कर रही है। प्रार्थीया के पति का दे[illegible]न्तान नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:15:09 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रार्थीया जब से ससुराल आई है तब से अपने उक्त आवासीय मकान में निवास कर रही है एवं आवासीय मकान में विद्युत व पानी के कनेक्शन भी ले रखे है। प्रार्थीया के कब्जे स्वामित्व के उक्त मकान पर कभी किसी व्यक्ति का कब्जा नही रहा है। प्रार्थीया का आवासीय मकान पक्का बना हुआ है एवं इसके अलावा प्रार्थीया के पास अन्य कोई मकान नही है। यह कि प्रार्थीया ने अपने उक्त आवासीय मकान का पट्टा बनाने हेतु ग्राम पंचायत, मण्डार में आवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में पट्टा भी जारी किया गया है उसके बावजूद भी अभी तक ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीया को पट्टा सुपर्द नही किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत, मण्डार ने प्रार्थीया के उक्त आवासीय मकान की भूमि का श्री केसा पुत्र खेमा जी मेघवाल, निवासी- मण्डार के पक्ष में क्षेत्रफल 5850 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 को आम नीलामी के माध्यम से विक्रय कर जारी किया जाना दर्शाया है। जबकि वर्ष 1984 में ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा ऐसी कोई नीलामी कार्यवाही नही की गई है तथा क्षेत्रफल 5850 वर्गफीट भूखण्ड का मात्र 51/- रुपये में आम नीलामी में पट्टा जारी करना दर्शाया है, जो विधि सम्मत नही है। उक्त पट्टा संख्या 25 में अंकित चतुर्दशी व नाप का कोई भूखण्ड ग्राम मण्डार के मेघवालवास में नही है। प्रश्नगत पट्टे की आड में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारे प्रार्थीया के कब्जे स्वामित्व के पुराने मकान की भूमि को हडपने का प्रयास किया जा रहा है एवं येनकेन प्रकार से प्रार्थीया को उसके मकान से बेदखल करने हेतु आमदा है। ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा प्रार्थीया को उसके मकान का जारी पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के शिकायत करने से ग्राम पंचायत, मण्डार ने प्रार्थीया को सुपर्द नही किया है। प्रार्थीया का मकान पुराना बना हुआ था उसके स्थान पर प्रार्थीया के पति ने नया मकान बनाया है। प्रार्थीया के मकान का ग्राम पंचायत, मण्डार को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता केसाजी के पक्ष में पट्टा जारी करने का कोई हक अधिकार नही है तथा न ही कभी मौके पर केसाजी या अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कब्जा रहा है। प्रार्थीया के आवासीय मकान के उत्तर दिशा में आम रास्ता है जिस पर सी.सी.रोड बना हुआ है उसके आगे चेला पुत्र परखाजी मेघवाल का आवासीय मकान बना हुआ है। प्रार्थीया के मकान के दक्षिण में श्री थानाराम पुत्र सवाराम जी का मकान आया हुआ है। पट्टा के अनुसार स्वर्गीय श्री थानाराम पुत्र सवाराम जी का मकान आया हुआ है। पट्टा के अनुसार श्री थानाराम के मकान के दक्षिण में उक्त पट्टा का भूखण्ड है, लेकिन मौके पर अन्य लोगों के आवासीय मकान बने हुए है। प्रार्थीया के आवासीय मकान को उक्त पट्टा की सम्पति बनाकर विवादित किया जा रहा है। यह कि जिस समय अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता केसाजी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया उस समय प्रश्नगत पट्टे की भूमि गोचर थी एवं दो वर्ष पूर्व ही ग्राम पंचायत, मण्डार को आबादी विस्तार हेतु आवंटित हुई है जिससे ग्राम पंचायत को उस समय प्रश्नगत भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार ही नही था। प्रार्थीया द्वारा निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने के बाद भी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा बिना अनुमति के ही [illegible] भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य करवा रहे है जिसे न्यायहित में मौ[illegible] रहे अवैध निर्माण को रोका जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्टया [illegible] प्रार्थीया के पक्ष में है

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:15:09 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तथा यदि मौके पर निर्माण कार्य को नही रुकवाया गया तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीया का प्राथ्रना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य करने से रोका जाये व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता केसाजी पुत्र खेमाजी मेघवाल, निवासी- मण्डार द्वारा ग्राम पंचायत, मण्डार से पट्टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 की भूमि को वर्ष 1984 में आम नीलामी में अधिकतम बोली लगाकर क्रय किया गया था, जिसका ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा केसाजी पुत्र खेमाजी के पक्ष में पट्टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 को विधिवत जारी कर कब्जा सुपर्द किया गया। तब से मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अपने पिता के जरिये काबिज होकर प्रश्नगत पट्टे की भूमि का उपयोग व उपभोग कर रहे है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि से प्रार्थीया का कोई लेना देना नही है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अपने पट्टे की भूमि पर निर्माण कार्य करवा रहे है। मौके पर आर्थी संख्या 2 व 3 के पिता का मकान व प्रार्थीया का मकान अलग अलग बने होकर दूरी पर स्थित है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा ग्राम पंचायत, मण्डार से विधिवत निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर अपने पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य करवा रहे है, जिससे प्रार्थीया का कोई लेना देना नही है। यह कि सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में नही होकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में है एवं यदि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को उनके पिता केसाजी पुत्र खेमाजी मेघवाल, निवासी- मण्डार के कब्जे स्वामित्व व मालकी की पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य करने से रोका जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा क्षेत्रफल 5850 वर्गफीट भूमि का आम नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जाकर क्रेता केसाजी पुत्र खेमाजी, निवासी- मण्डार के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(1) के तहत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साथ उक्त अधिनियम की धारा 97 की उपधारा 2 के तहत यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी हंसाराम पुत्र केसाजी, जाति- मेघवाल, निवासी- मण्डार द्वारा उक्त पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य करने हेतु निर्माण स्वीकृति के लिये ग्राम पंचायत में आवेदन किया गया, जिसका आवेदन शुल्क राशि रुपये 20/- (अक्षरे रुपये बीस मात्र) ग्राम पंचायत, मण्डार में जमा करवाये गये है। ग्राम पंचायत, मण्डार के सरपंच द्वारा श्री हंसाराम पुत्र केसाजी, जाति- मेघवाल, निवासी- मण्डार के आवेदन पर दिनांक 15.2.2022 को निर्माण स्वीकृति भी जारी की गई है। इससे यह स्पष्ट है [illegible] उनके पिता केसाजी पुत्र खेमाजी मेघवाल, निवासी- मण्डार के पक्ष [illegible] ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा जारी पट्टा संख्या 25 दिनांक 18.7.1984 [illegible] स्वीकृति प्राप्त कर

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:15:09 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 के पक्ष में प्रतीत होता है तथा यदि अप्रार्थी संख्या- 2 व 3 को उनके पिता केसाजी पुत्र खेमाजी मेघवाल, निवासी- मण्डार के उक्त पट्टेशुदा भूमि पर निर्माण कार्य करने से रोका जाता है तो अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को क्षति होगी। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अत: प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खोड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:15:09 IST
Reason: SelfAttested